वार्षिक लेखा

2009 - 10

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर IV बी प्रथमतल
भारत पर्यावास केन्द्र
लोदी रोड़ नई दिल्ली -110003

31.3.2010 के वार्षिक लेखो का इंडेक्स

क्रम सं.	सूची संख्या	पृष्ठ संख्या
1	आडिट रिर्पोट	1-5
2	तुलन पत्र	6
3	आय एवं व्यय लेखा (योजना)	7
4	आय एवं व्यय लेखा (गैर योजना)	8
5	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	9-13
6	अनुसूची 1 से 17	14-24
7	अनुसूची 18 एवं 19 दिनांक 31/3/2010 की स्थिति के अनुसार लेखों और संबंध लेखाकरण नीतियों तथा तुलन पत्र के संरचना पर टिप्पाणियाँ	25-29

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखे पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 25 के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन, 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखे से संलग्न तुलनपत्र और आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अदायगी लेखा की लेखा परीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी है । हमारी जिम्मेवारी, हमारे द्वारा इन वित्तीय विवरणों पर की गई लेखा परीक्षा पर मत व्यक्त करना है ।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल लेखा ट्रीटमेंट पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक की टिप्पणियां हैं । यह टिप्पणियां वर्गीकरण, अनुरूपता, सर्वोत्तम लेखा व्यहवर्ताओं, लेखा मानकों और प्रकट किए गए प्रतिमानों के संबंध में विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य तथा नियमत्ता) और निपुणता-सह निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्टों में अलग से दिखाई गई हैं ।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा, प्राय: भारत में स्वीकार किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है । इन मानकों मे यह अपेक्षा की गई है कि हम लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन भौतिक गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों के संबंध में तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करते हैं । एक लेखा परीक्षा में, टैस्ट बेसिज, प्रमाण, राशिओं के संबंध में समर्थन दस्तावेज और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल हैं । लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा परीक्षा नियम का जायजा लेंना और प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, हमारे मत का औचित्य आधार है ।

C:\Documents and Settings\planning7\Desktop\separate audit report-2009.doc

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि

i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के लिए हमारे लेखा परीक्षण प्रयोजन के लिए आवश्यक थे को प्राप्त कर लिया है ।

ii) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, आय-व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए हैं ।

iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा लेखे की पुस्तकें और संबंधित रिकार्ड जहां तक हमारे द्वारा इनकी जांच की गई है ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उचित रूप से रखा गया है जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, अधिनियम, 1985 की धारा 33 (i और ii) द्वारा अपेक्षा की गई है ।

iv) लेखों पर टिप्पणियां

क. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त 58.32 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान में से (50.00 करोड़ रूपये योजना और 2.95 करोड़ रूपए गैर-योजना तथा 5.37 करोड़ रूपए आर आर टी एस अध्ययनो के लिए) प्राप्त हुई थी, 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार संगठन ने वर्ष के दौरान 55.63 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग किया है और 2.69 करोड़ रूपये बिना खर्च रहा। सहायता अनुदान का परियोजना पर विवरण अनुबंध-1 पर संल्गन हैं पूरे अनुदान का उपयोग किया ।

ख. प्रबंधन पत्र

कमियां, जिन्हें अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है सुधार लाए जाने हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र द्वारा सदस्या सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की जानकारी में ला दी गई हैं ।

v) पिछले पैराग्राफों में दी गई टिप्पणियों को छोड़ कर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखे, लेखा पुस्तकों के अनुसार हैं ।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखों पर लेखाकरण नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित वित्तीय विवरण और इस लेखा परीक्षा के अनुसंलग्नक -II में उलिल्खित अन्य मामलें भारत में प्राय स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांत के अनुरूप सही और निष्पक्ष प्रकटन करते हैं:

क. जहां तक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के मामलों के संबंध में तुलन पत्र संबंधित है ।

ख. जहां तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष की आय और व्यय लेखे का संबंध है ।

ह/.
(के.आर. श्रीराम)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षण
आर्थिक और सेवा मंत्रालय

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.10.2010

C:\Documents and Settings\planning7\Desktop\separate audit report-2009.doc

सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान अनुदान संबंधी प्राप्तियां और उपयोग का परियोजनावार विवरण इस प्रकार है:

करोड़ ₹ में

क्रम सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए अनुदान प्राप्त हुआ है अथवा सामान्य अनुदान	पिछले वर्ष से अनुदान की अग्रानीत राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि	कुल प्राप्त अनुदान	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार उपयोग की गई राशि अगले वर्ष अग्रेनीत राशि	टिप्पणी i. परियोजना की लक्ष्य तारीख ii. विलंब आदि के संबंध में लेखा परीक्षा टिप्पणियां
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड निधि (योजना) में अंशदान	शून्य	50	50	50	शून्य	भारत सरकार की यह सतत् योजना है
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता अनुदान (गैर-योजना)	शून्य	2.95	2.95	2.95	शून्य	भारत सरकार की यह सतत् योजना है
3.	क्षेत्रीय रेपिड ट्रांजिट स्सिटम कारीडोर-दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ (ii) दिल्ली सोनीपत पानीपत (iii) दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर के लिए डीपीआर को तैयार करने हेतु अध्ययन	शून्य	5.368301	5.368301	2.6841506	2.6841504	अध्ययन दिसम्बर, 2011 में पूरा हो जाएगा

अनुबंध - II

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के संबंध में कमी :** बोर्ड में अभी तक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को विकसित नहीं किया गया है । संबंधित मंत्रालय द्वारा भी कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की जाती है और न ही किसी आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है । संगठन में गतिविधियों के प्रभावी प्रबोधन और वित्तीय लेनदेन के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कमी :** बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्तियों और भुगतानों तथा तीन हजार करोड़ रूपये के अंतग्रस्त वाले तुलन पत्र को ध्यान में रखते हुए तथा बोर्ड के आकार और गतिविधियों के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है । वित्तीय मामलों पर प्रभावी नियंत्रण तथा रिकार्डो/सहायक रजिस्टरों अर्थात् निवेशों, चैकों और बैंकों, अनुदान, व्यय नियंत्रण रजिस्टरों और उपर्युक्त कैश बुक आदि के रखरखाव के लिए पर्याप्त जनशक्ति और पर्यवेक्षण की आवश्यकता है ।

3. **नियत परिसम्पत्तियों की वास्तविक जांच की प्रणाली :** नियत परिसम्पत्तियों के संबंध में उचित रूप से कोई रजिस्टर नहीं रखा गया था । मदों को समूहवार रखा नहीं गया था और न ही ये नियत परिसम्पत्तियों की अनुसूची के अनुसार मेल खा रहा था । वर्ष 2009-10 के लिए वास्तविक जांच का परिणाम रजिस्टर में रिकार्ड नहीं किया गया था ।

4. **इनवेंटरी की वास्तविक जांच की प्रणाली :** वर्ष 2009-10 के लिए इनवेंटरी की वास्तविक जांच नहीं की गई थी ।

****

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
तुलन पत्र

(राशि रूपये)

कायिक/पूंजी निधि और देयताएं	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पूर्ववर्ती वर्ष**
एनसीआरपीबी निधि (कायिक/पूंजी निधि)	1	21589247352	20052324460
विशेष आरक्षिति (Special Reserve)	2	570000000	285000000
निर्धारित/विन्यास निधियां	3	26841504	0
असुरक्षित ऋण तथा उधार		0	0
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	7000000000	4651000000
आस्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं और प्रावधान	5	216738659	159287178
योग		**29402827515**	**25147611638**
परिसम्पत्तियां			
सावधि परिसम्पतियां	6	11023687	11306952
निर्धारित/विन्यास निधियों से निवेश		0	0
पीएफ/एनपीएस का निवेश	7	15546937	13290864
चालू परिसम्पतियां, ऋण, अग्रिम आदि	8	29376256891	25123013822
विविध व्यय		0	0
(बट्टे खाते न डाली गई अथवा समायोजित न की गई मात्रा तक)		0	0
योग		**29402827515**	**25147611638**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	18		
आकास्मिक देयताएं और नोट्स आन एकाउन्टस	19		

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	**निदेशक (प्र.एवं वि.)**	**सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (योजना)

(राशि रूपये)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद		तुलन पत्र में स्थानांतरण	तुलन पत्र में स्थानांतरण
शुल्क व अभिदान		0	0
निवेश से निर्धारित/विन्यास निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों से आय		20735	34955
अर्जित ब्याज	9	1859643530	1401705509
अन्य आय	10	7519586	9369504
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर		0	0
योग (क)		**1867183851**	**141109968**
व्यय			
स्थापना व्यय	11	3075399	18914134
अन्य प्रशासिनक व्यय आदि	12	6955457	14314543
अनुदानों, इमदादों आदि पर व्यय			0
बाजार ऋण पर व्यय	13	506800696	217773905
अनुसूची - 4 से संबंधी मूल्यहास		1480133	1475610
योग (ख)		**518311685**	**252478192**
व्यय (क-ख) की तुलना में आय से अधिक शेष		1348872166	1158631776
आयकर/फ्रिंज लाभकर का प्रावधान		0	0
एन.सी आर सैल पर व्यय(31.3.09 तक) प्रावधान		1105778	16055000
एन.सी.आर सैल व्यय (2009-10) का प्रावधान		16650556	0
बांड रिडम्पशन रिजर्व (बी.आर.आर) में अंतरण		285000000	285000000
आय और व्यय लेखा (गैर-योजना) में अंतरण		10147239	50546740
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अन्तरण		**1035968593**	**823085036**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	18		
आकास्मिक देयताएं और नोट्स ऑन एकाउन्टस से	19		

ह./- सहायक निदेशक (वित्त)	ह./- निदेशक (प्र.एवं वि.)	ह./- सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (गैर-योजना)

(राशि रूपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
एम ओ यू डी से सहायता अनुदान		29500000	23500000
शुल्क व अभिदान		0	0
जी पी एफ व सी पी एफ के निवेश से आय	14	1011126	1331086
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		0	0
अर्जित ब्याज		0	0
अन्य आय	15	23695	8101
आय और व्यय लेखा(योजना) से अन्तरण		10147239	50546740
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)		0	0
योग (क)		**40682060**	**75385927**
व्यय			
स्थापना व्यय	16	24082112	20720220
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	17	4961283	3902652
अनुदानों, इमदादों आदि पर व्यय			
योग (ख)		**29043395**	**24622872**
व्यय की तुलना में आय की अधिकता से शेष (क -ख)		11638665	50763055
ग्रेच्युटी का प्रवाधान		1177950	6920778
छुटटी नकदीकरण प्रावधान		1724097	12477846
पेंशन (वर्तमान) प्रावधान		4121864	19306197
पेंशन (रिटायर्ड) प्रावधान		4614754	11841919
व्यय की तुलना में आप की शुद्ध अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो, निधि में अन्तरण		**0**	**216315**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	18		
आकस्मिक देयताएं और नोटस आनॅ एकाउन्टस	19		

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	**निदेशक (प्र.एवं वि.)**	**सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना
I. अथ शेष						
(क) हाथ में रोकड़	21923	21923		5224	5224	
(ख) बचत खाते में बैंक बैलेंस	1533335336	1533335336		729331970	729331970	
(ग) बचत खाता में शेष भविष्य निधि	2391292		2391292	556590		556590
(घ) बचत खाता नई पेंशन योजना मे शेष	14196		14196	548575		548575
उपयोग	1535762747	1533357259	2405488	730442359	729337194	1105165
II. प्राप्त अनुदान						
(क) शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से	529500000	500000000	29500000	523500000	500000000	23500000
(ख) दिल्ली सरकार से	0	0	0	500000000	500000000	
(ग) शहरी विकास मंत्रालय से आर.आर.टी. एस अध्यन के लिए	53683010	53683010	0	0		
III. निवेश पर आय (भविष्य निधि/ एन.पी.एस.)						
(क) बचत बैंक ब्याज	175775		175775	44052		44052
(ख) भविष्य निधि जमा पर ब्याज	987268		987268	1102754		1102754
IV. प्राप्त ब्याज						
(क) राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए गए ऋण पर	1522295846	1522295846		1250984421	1250984421	
(ख) बचत बैंक (आटोस्वेप एफ डी आर सहित)	62666269	62666269		61744860	61744860	
(ग) बैंक जमाओं पर	641096	641096		22057610	22057610	
(घ) स्टाफ को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज	2821		2821	0		
V. अन्य आय						
(क) रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री	20735	20735		34955	34955	

(ख) 2005-06 की अल्प प्राप्ति वापस	0			0		
(ग) ऋणों पर पूर्व चार्ज भुगतान	0			0		
(घ) समाचार पत्रों की बिक्री	0			1575		1575
(ङ) परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान	0			2525		2525
(च) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	14163		14163	1113		1113
(छ) स्टाफ से बॉड/ब्याज मनी प्राप्त	0			0		
(ज) भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	300		300	0		
(झ) आर ओ आई की पुर्नस्थापना के लिए अपफ्रंट शुल्क	0			0		
(ण) एम.ओ.यू.डी. से अध्यन प्रतिपूर्ति	7519586	7519586	0	9369504	9369504	
VI <u>उधार रकम</u> (क)रा.रा.क्षे.यो.बो कर योग्य बॉड	1349000000	1349000000	0	2651000000	2651000000	
(ख) अल्प अवधि ऋण बैंकों से	1000000000	1000000000	0	0		
VII. अन्य प्राप्ति						
(क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण का पुनर्भगतान	3538003117	3538003117		2588355482	2588355482	
(ख) भुनाई गई सावधि जमा	390000000	390000000		2000000000	2000000000	
(ग) भविष्य निधि/एन पी एस निवेशों की परिपक्वता	5900000		5900000	6500000		6500000
(घ) बयाना /सिक्योरिटी डीपोजिट	8384		8384	14388		14388
(च) स्टॉफ को विविध अग्रिम	64223		64223	100099		100099
(छ) पेट्रोल अग्रिम	1120		1120	1000		1000
(ज) यात्रा अग्रिम	321137		321137	158202		158202
(झ) छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	134682		134682	133574		133574
(ङ) वाहन/ कम्पूटर अग्रिम की नकद वसूली	19460		19460	12000		12000
(ट) प्रतिनियुक्त कर्मचारी वसूली	251634		251634	0		
(ठ) एल आई सी से	0	0		72702		72702

प्राप्त जी आई एस धन						
(ड) भविष्य निधि/एन पी एस रोकड़ की कटौती	364118		364118	0		
(ढ) स्त्रोत पर कर की कटौती	6145479		6145479	2857575		2857575
(ण) राज्यों को दिए गए ऋण से अधिक प्राप्तियां	563972		563972	45753	45753	
(ल) वेतन एवं भत्तों की नकद वसूली जी पी एफ (निकासी) वापिसी	150000		150000	730000		730000
(व) स्टाफ कार की ब्रिकी	26026		26026			
येाग	**10004222968**	**9957186918**	**47036050**	**10349266503**	**10312929779**	**36336724**

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपयों में)

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना
I. व्यय						
(क) स्थापना व्यय (अनुसूची-11एवं 16 संबंधी)	25433150	3743759	21689391	24470777	6701568	17769209
(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-12 एवं 17 संबंधी)	38365749	33631169	4734580	18425133	14594660	3830473
(ग) बाजार ऋण पर व्यय	479714426	479714426		186906750	186906750	
II. राज्य सरकार/ऐजेंसियों को बांटे गए कर्जे	8145555500	8145555500		7230554000	7230554000	
III. किए गए निवेश और जमा						
(क) सावधि जमा में निवेश की गई राशि	390000000	390000000		1000000000	1000000000	
(ख) भविष्य निधि / एन पी एस	2500000		2500000	5900000		5900000
(ग) अन्य: बी आर आर	285000000	285000000		285000000	285000000	
IV. सावधि परिसम्पत्तियों पर व्यय						
(क) सावधि परिसम्पत्तियों की खरीद	1222891		1222891	125169		125169
V. राज्य सरकार को बेशी धन/ऋणों की प्रतिदायगी	0			0		
VI. ऋणों और अग्रिमों का भुगतान						
(क) स्टॉफ को अन्य अग्रिम	347732		347732	492283		492283

(ख) जी पी एफ से अग्रिम/आहरण	930020		930020	3611657		3611657
(ग) यात्रा अग्रिम	118103		118103	467800		467800
VII. अन्य भुगतान						
(क) रा.रा.क्षेत्रों के बांडों का मोचन	0			0		
(ख) बयाना राशि	2000		2000	100000		100000
(ग)आयकर/स्त्रोत पर कटौती	80230609	80230609		53502840	53502840	
(घ) दिए गए अधिक ब्याज की प्रतिदायगी	78637		78637	0		
(ङ) जी आई एस निधि से भुगतान	27360		27360	100707		100707
(च)स्त्रोत पर कर की क्टौती	4068838		4068838	3656561		3656561
(छ) प्रतिनियुक्त कर्मचारी वसूली	465077		465077	190079		190079
(ज) नई पेंशन स्कीम निधि का भुगतान	1522353		1522353			
VIII. इति शेष						
(क) हाथ में रोकड़ (अग्रदाय सहित)	22766	22766		21923	21923	
(ख) बचत खाते में बैंक बैलेंस	540379016	540379016		1533335336	1533335336	
(ग) बचत खाते में बैंक बैलेंस (भविष्य निधि)	8238270		8238270	2391292		2391292
(ध) बचत खाते में बैंक बैलेंस (एन पी एस)	471		471	14196		14196
योग	**10004222968**	**9958277245**	**45945723**	**10349266503**	**10310617077**	**38649426**

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयों में)

रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कायिक/पूंजी निधि)	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के शुरूआत में शेष	20052324460	18229023109
जोड़े: दिल्ली सरकार से अनुदान/अंशदान	0	500000000
जोड़े: एम ओ यू डी से सहायता-अनुदान	500000000	500000000
जोड़े: आय तथा व्यय लेखा (योजना) से अन्तरित	1035968593	823085036
जोड़े: आय तथा व्यय लेखा (गैर-योजना) से अन्तरित	0	216315
जोड़े: जी आई एस निधि का अव्यायित शेष	954299	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**21589247352**	**20052324460**

अनुसूची-2
(राशि रूपयों में)

विशेष रिजर्व	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बांड रिडम्पशन रिजर्व		
पिछले लेखों के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा	285000000	0
वर्ष के दौरान घटाया	285000000	285000000
	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**570000000**	**285000000**

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	**निदेशक (प्र.एवं वि.)**	**सदस्य सचिव**

अनुसूची-3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निर्धारित/कायिक निधिक		
क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली (आर आर टी एस) गलियारों के लिए डी पी आर प्रस्तुत करने हेतु अध्ययन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान		
क) वर्ष के शुरूात में शेष	0	0
ख) जोडें:वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	53683010	0
उप-योग	53683010	0
ग) आर आर टी एस अध्ययन हेतु उपयोग/व्यय		
- आर आर टी एस के लिए डी पी आर तैयार करने हेतु मोबीलाईजेशन हेतु शुल्क	26841506	0
वर्ष के अन्त में निबल शेष (क + ख - ग)	**26841506**	**0**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

अनुसूची-4
(राशि रूपयों में)

सुरक्षित ऋण तथा उधार	**चालू वर्ष**	**पूर्ववर्ती वर्ष**
1. **निजि स्थापन बांड़**		
क. एन सी आर पी बी का योग्य बांड़ 2018	2000000000	2000000000
ख. एन सी आर पी बी का योग्य बांड़ 2019 क्रम I	2651000000	2651000000
ग. एन सी आर पी बी का योग्य बांड़ 2019 क्रम II	1349000000	0
उप-योग	**6000000000**	**4651000000**
2. **बैंकों से ऋण**		
क. स्टेट बैंक आफ इंदौर से अंल्प अवधि ऋण	450000000	0
ख. कारपोरेशन बैंक से अल्प अवधि ऋण	550000000	0
उप-योग	**1000000000**	**0**
सकल योग	**7000000000**	**4651000000**

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	**निदेशक (प्र.एवं वि.)**	**सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयों में)

चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
सांविधिक देयताएं		
1. सामान्य भविष्य निधि	14376054	11110639
2. नई पेंशन योजना निधि	0	1043904
3. जी आई एस निधि	0	954299
4. पेंशन हेतु अंशदान	0	504101
5. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूलियां	19874	22329
6. ठेकेदारों/व्यवसायियों/स्टाफ से स्त्रोत पर कर की कटौती	3193090	65524
7. अतिशोध्य	205000	205000
उप-योग	17794018	13905796
उधार पर ब्याज पोदभूत देय नहीं:-		
1. रा.रा.क्षे.यो. बो. कर योग्य बांड़-2018	29031233	29031234
2. रा.रा.क्षे.यो. बो. कर योग्य बांड़-2019 सीरिज-I	39209379	27911762
3. रा.रा.क्षे.यो. बो. कर योग्य बांड़-2019 सीरिज-II	18927394	
4. बैंकों से अल्प अवधि के त्रण	1246575	
उप-योग	88414581	56942996
अन्य चालू देयताएं		
1. भुगतेय खर्चे	3075706	7294216
2. बयाना	689655	689655
3. राज्य सरकारों/एजेंसियों से ऋणों की अपेक्षा अधिक प्राप्तियां	1386746	901411
उप-योग	5152107	8885282
प्रावधान:-		
1. आयकर	**0**	0
2. ग्रेच्युटी	**7910460**	6920778
3. पेंशन (वर्तमान)	**23932162**	19306197
4. पेंशन (रिटायर्ड)	**15222478**	11841919
5. छुटटी नकदीकरण	**14108923**	12477846
उप-योग	61174023	50546740
रा.रा.क्षे. प्रकोष्ट व्यय देय		
क. शुद्ध प्राधान 31.3.09 तक	27553374	29006364
ख. 2009-10 के लिए प्रावधान	16650556	--
उप-योग	44203930	29006364
कुल योग	**216738659**	**159287178**

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	**निदेशक (प्र.एवं वि.)**	**सदस्य सचिव**

<u>अनुसूची-6</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
वर्ष 2009-10 के लिए सावधि परिसम्पत्तियां

क्रमांक	परिसम्पत्तियों के नाम	01.04.09 के अनुसार शेष	परिवर्धन		बिक्री/ अन्तरण	सकल शेष	मूल्यहास		निवल शेष
			30.9.09 तक	30.9.09 के पश्चात्			दर (%)	राशि	
(क) सरकारी अनुदान से उपार्जित परिसम्पत्तियां									
1.	एडीशनल पावर पावंइट	1485.00	0.00	0.00	0.00	1485.00	10	148.50	1336.50
2.	एयर कंडीशनर	2170.00	0.00	0.00	0.00	2170.00	15	325.50	1844.50
3.	वार्षिक प्रकाशन/संदर्भ किताबें	3735.00	1082.00	4992.00	0.00	9809.00	100	7313.00	2496.00
4.	आटो डायलर	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	15	24.30	137.70
5.	कैलकुलेटर	1115.00	0.00	0.00	0.00	1115.00	15	167.25	947.75
6.	कार	365668.70	0.00	0.00	26026.00	339642.70	15	50946.41	288696.29
7.	कंप्यूटर/प्रिंटस	93054.00	0.00	420997.00	0.00	514051.00	60	182131.50	331919.50
8.	कंप्यूटर साफ्टवेयर एंड डेव.	1023.00	0.00	0.00	0.00	1023.00	60	613.80	409.20
9.	सी वी टी	2922.00	0.00	0.00	0.00	2922.00	15	438.30	2483.70
10.	विद्युत उपकरण	3301.00	96.00	0.00	0.00	3397.00	15	509.55	2887.45
11.	इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर	491.00	0.00	0.00	0.00	491.00	15	73.65	417.35
12.	ई पी ए बी एक्स	67393.00	0.00	0.00	0.00	67393.00	15	10108.95	57284.05
13.	फालस सिलिंग ट्यूब फिटिंग	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00	10	69.80	628.20
14.	पंखे	0.00	2550.00	0.00	0.00	2550.00	10	255.00	2295.00
15.	फैक्स मशीन	11501.00	0.00	0.00	0.00	11501.00	15	1725.15	9775.85
16.	फायर फाइटिंग उपकरण	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	15	12.60	71.40
17.	फर्निशिंग	82147.00	0.00	0.00	0.00	82147.00	10	8214.70	73932.30
18.	फर्नीचर	342138.00	11588.00	98673.00	0.00	452399.00	10	40306.25	412092.75
19.	गोदरेज सेफ/चेस्ट	1378.00	0.00	0.00	0.00	1378.00	10	137.80	1240.20
20.	गोदरेज कैबिनेट	3742.61	0.00	0.00	0.00	3742.61	10	374.26	3368.35
21.	हाटलाइन प्रोजेक्शन विजन	2955.00	0.00	0.00	0.00	2955.00	15	443.25	2511.75
22.	लायब्रेरी किताबें	13235.00	1172.00	10576.00	0.00	24983.00	60	11817.00	13166.00
23.	चिकित्सा उपकरण	2760.00	0.00	0.00	0.00	2760.00	15	414.00	2346.00
24.	निकोन डिजिटल कैमरा	24233.60	0.00	0.00	0.00	24233.60	15	3635.04	20598.56
25.	सोनी डिजिटल कैमरा	10200.00	0.00	0.00	0.00	10200.00	15	1530.00	8670.00
26.	फोटोकापी मशीन	388425.00	0.00	0.00	0.00	388425.00	15	58263.75	330161.25
27.	पी वी सी पार्टीशन	4980.00	0.00	0.00	0.00	4980.00	10	498.00	4482.00
28.	पैडेस्टल फेन	1101.00	0.00	0.00	0.00	1101.00	10	110.10	990.90
29.	पेपर मोनस्टरजुनियर	1812.78	0.00	0.00	0.00	1812.78	15	271.92	1540.86
30.	पिक अप वैन	47094.00	0.00	0.00	0.00	47094.00	15	7064.10	40029.90

	बजाज आटो								
31.	रेफ्रिजेटर	586.00	0.00	0.00	0.00	586.00	15	87.90	498.10
32.	रेटरिंग स्क्राइबर	5427.00	0.00	0.00	0.00	5427.00	15	814.05	4612.95
33.	स्पल बाइन्डर ए 4 साइज	12411.78	0.00	0.00	0.00	12411.78	15	1861.77	10550.01
34.	सैमसंग ओमीना मोबाईल	0.00	0.00	23500.00	0.00	23500.00	15	1762.50	21737.50
35.	टेपरिकार्डर/टू इन वन	2257.78	0.00	0.00	0.00	2257.78	15	338.67	1919.11
36.	टेलीफोन	61389.00	0.00	0.00	0.00	61389.00	15	9208.35	52181
37.	टेलीविजन	11136.00	0.00	0.00	0.00	11136.00	15	1670.40	9465.60
38.	टाइपराइटर	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	15	150.00	850.00
39.	यू पी एस	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	60	28.20	18.80
40.	दीवार घड़ी	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	10	98.60	887.40
41.	वाटर डिस्पेंसर	1555.86	0.00	0.00	0.00	1555.86	15	233.38	1322.48
42.	बुडन बाक्स	0.00	0.00	1997.00	0.00	1997.00	10	99.85	1897.15
43.	वेब कैमरा (डी-लिंक)	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00	15	88.05	498.95
	उप-योग	1578386	16488.00	560735.00	26026.00	2129585.11		404385.15	1725200
(ख)	आई एच सी में आफिस एकामोडेशन	9610609.00	0.00	0.00	0.00	9610609.00	10	961060.90	8649548
(I)	योग (क) + (ख)	11188995.00	16488.00	560735.00	26026.00	11740194.11		1365446	10374748

(II) स्वयं की निधियों से उपार्जित परिसम्पत्तियां

क्रमांक	परिसम्पत्तियों के नाम	दिनांक 01.04.09 की स्थिति के अनुसार शेष	परिवर्धन		बिक्री	सकल शेष	मूल्यहास		निवल शेष
			30.9.09 तक	30.9.09 के पश्चात्			दर (%)	राशि	
1.	कोट स्टेंड	4664.83	0.00	0.00	0.00	4664.83	10	466.48	4198.35
2.	कंप्यूटर/प्रिन्टर	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	60	12.96	8.64
3.	फर्नीचर	38886.54	0.00	0.00	0.00	3886.54	10	388.65	3497.89
4.	प्रोजेक्ट स्पान	106600.02	0.00	0.00	0.00	106600.02	15	15990.00	90610.02
5.	कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा डेवल्नमेंट	730.93	0.00	0.00	0.00	730.93	60	438.56	292.37
6.	टेलीफोन	1538.54	0.00	0.00	0.00	1538.54	15	230.78	1307.76
7.	यू पी एस	514.88	0.00	0.00	0.00	514.88	60	308.93	205.95
8.	मारूति कार एसएक्स-4	0.00	645668.00	0.00	0.00	645668.00	15	96850.20	548817.80
	योग	117957.34	645668.00	0.00	0.00	763625.34		114686.56	648938.78
	कुल योग (I+II)	11306952	662156.00	560735.00	26026.00	12503819.45		1480132.56	11023687

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-7

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

रूपये में

निवेश-अन्य	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) जी पी एफ निधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	3411385	3411385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक के साथ एफ डी आर)	2500000	5000000
3. शेयरर्स	0	0
4. डिबन्चर्स तथा बांडस	1140000	1140000
5. इमदाद तथा संयुक्त उद्यम	0	0
6. अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर प्रोदभूत ब्याज	256812	400338
बचत बैंक शेष	8238269	2391292
उप-योग	15546466	12343015
(ख) नई पेंशन योजना		
1. स्टेट बैंक आफ इंदौर में एफ डी आर	0	900000
2. एन पी एस निवेश पर प्रोदभूत ब्याज	0	33653
3. बचत बैंक शेष	471	14196
उपयोग	471	947849
कुल योग	15546937	13290864

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

चालू परिसम्पत्तियां, कर्ज अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. चालू परिसम्पत्तियां:		
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुस्तकों और प्रकाशन का स्टॉक	302480	313617
2. विविध देनदार		
क) छः माहे की अवधि से अधिक के बकाया ऋण	98361	98361
ख) अन्य (एम टी एन और जी एम टी में प्रतिभूति)	28148	34532
उपयोग	126509	132893
3. हाथ में नकद शेष	22766	21923
4. बैंक शेष		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
- बचत खाते पर (आटो स्वेप एफ डी आर सहित)	540379016	1533335336
- बचत खाते में रखी बी.आर.आर	285000000	285000000
उपयोग	825379016	1818335336
- बी आर आर की एफ डी आर	285000000	0
- अन्य- एफ डी आर	0	0
उपयोग	285000000	0
योग (क)	1110830771	1818803769
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ को अग्रिम	932773	1198418
ख) अन्य अग्रिम		
i) यात्रा अग्रिम	52000	361600
ii) एल टी सी अग्रिम	0	0
iii) पेट्रोल अग्रिम	4400	4400
iv) विविध अग्रिम	3100	2300
उप-योग	59500	368300
ग) राज्य सरकारें/क्रियान्वयन एजेंसियों को ऋण	26961449946	22353897563
2. वसूले जाने वाले अग्रिम और अन्य राशियाँ		
क) पूर्व भुगतेय व्यय	0	0
ख) वसूली योग्य अग्रिम आय कर एवं स्त्रोत पर कर कटौती (कर का शुद्ध प्रावधान)	698813837	617893298
उप-योग	69881387	617893298
3. प्रोदभूत आय		
क) एफ डी आर पर प्रोदभूत ब्याज पर देय नहीं		
ख) ऋण पर प्राप्त ब्याज	9456095	1991068
ग) स्टॉफ ऋण पर प्रोदभूत ब्याज	593291652	327504858
घ) बचत खाते पर प्रोदभूत ब्याज	1422317	1344470
	0	12078
उप-योग	**604170064**	**330852474**
योग (ख)	**28265426120**	**23304210053**
योग (क) + (ख)	**29376256891**	**25123013822**

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) का अनुसूची संरचना भाग

	अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1.	सावधि जमाओं पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों में	10787121	10880632
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों में	0	0
ग)	संस्थाओं में	0	0
घ)	अन्य	0	0
2.	बचत खातों पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों में		
	बचत बैंक ब्याज: 36512211.00 रूपये		
	आटो स्वेप एफ डी आर पर ब्याज: 24150912.00 रूपये	60663123	63748007
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों में	0	0
ग)	डाकघर बचत खाता	0	0
घ)	अन्य	0	0
3.	ऋणों पर:		
क)	राज्य सरकारों/अनके क्रियान्वयन एजेंसियों को ऋण पर ब्याज	1787204100	1321511832
ख)	कर्मचारियों/स्टॉफ को दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	110646	135380
ग)	अन्य - पैनल ब्याज (Penal interest)	878540	5429658
	योग	1859643530	1401705509

अनुसूची-10

	अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क)	एम ओ यू डी से प्रतिर्पूतिः (एन.सी.आर. पर इंटीग्रेटड ट्रांसपोर्ट प्लान अध्यन)	7519586	9369504
	योग	7519586	9369504

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

अनुसूची-11

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयें में)

स्थापना व्यय (योजना)	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन और मजदूरी (आंतरिक प्रोदभवन से भुगतान)	2100984	2685714
ख) अन्य - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकोष्ठ व्यय	974415	0
योग	**3075399**	**2685714**

अनुसूची-12

(राशि रूपयें में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुस्तकों और प्रकाशन की लागत	11137	31184
ख. अध्ययन और सर्वेक्षण	5130710	10585263
ग. विज्ञापन और प्रचार	276209	179334
घ. बोर्ड / अन्य बैठको पर होने वाला व्यय	494281	95979
ड़ प्राजेक्ट एप्राईज़ल फीस (Project Appraisal Fee)	962722	3384283
च मुदण खर्च (Printing Charges)	0	38500
छ. संगोष्टी/प्रशिक्षण	36613	0
ज. एन.सी.आर प्रकोष्ट के लिए टैक्सी व्यय	43785	173420
योग	**6955457**	**14487963**

अनुसूची-13

(राशि रूपयें में)

बाजार ऋण पर व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) बांडों पर ब्याज	494668044	207284547
ख) लिस्टिंग शुल्क	162031	5419
ग) रेटिंग ऐजेंसी प्रभार	3088400	2921360
घ) रजिस्ट्रार और स्थानान्तरण एजेंट प्रभार	21301	7667
ड.)रा.रा.क्षे.यो.बो के कर योग्य बांडस पर कारपोरेट एक्शन शुल्क/कस्टोडियन शुल्क	56253	37080
च) अरेंजर फीस	1339190	2626394
छ) रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के बांड आवेदन पर ब्याज	4491247	3117517
ज) ट्रस्टीशिप फीस	25000	30000
झ) रा.रा.क्षे.यो.बो के कर योग्य बॉड 2019 पर स्टैम्प डयूटी	838605	1603005
ण) निगरानी फीस	808900	73500
य) वार्षिक कस्टोडियल फीस एन एस डी एल/सी डी एस एल	55150	67416
र) बैंकों से अल्पअवधि के त्रणों पर ब्याज	1246575	0
योग	**506800696**	**217773905**

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

अनुसूची-14

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर योजना) अनुसूची संरचना भाग

राशि रूपयों में)

भविष्य निधि निवेश पर आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) भविष्य निधि निवेश पर ब्याज	748680	1253381
ख) भविष्य निधि के बचत बैंक खातों पर ब्याज	159622	30513
ग) एन.पी.एस निवेश पर ब्याज	61409	33653
च) एन.पी.एस बचत खाता पर ब्याज	41415	13539
योग	**1011126**	**1331086**

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-15

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर योजना) अनुसूची संरचना भाग

अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान		
1. बांड मनी/वेतन और भत्तों की वसूली	832	0
2. भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	300	0
3. स्टॉफ कार के उपयोग हेतु वसूली	8400	5413
4. पुराने समाचार पत्रों की बिक्री	0	1575
5. आर टी आई फीस	1230	1013
6. पहचान पत्र खो जाने पर	100	100
7. लेक्चर डिलीवरी प्राप्त पर मानदेय से विविध आय	12833	0
योग	**23695**	**8101**

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-16

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर-योजना) का अनुसूची संरचना भाग

स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वेतन (मूल + डी पी)	14314745	9457002
भत्ते और बोनस	7841484	7108000
एन पी एस के लिए अंशदान	229660	178288
सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ	0	2656664
अन्य		
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	513071	266962
जी पी एफ एकाउंट पर बयाज	928862	779734
एन पी एस एकाउंट पर बयाज	76653	118949
भर्ती व्यय	14800	0
सम्पदा निदेशालय को भुगतान किया गया लाईसेंस शुल्क	108943	82912
समाचार पत्र और आवधिक पत्रिकाएं	53894	71709
वर्दियां	0	0
योग	**24082112**	**20720220**

अनुसूची-17

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर-योजना) का अनुसूची संरचना भाग

प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विद्युत और जल प्रभार	38532	40302
हाउस कीपिंग	603249	535507
मरम्मत और रखरखाव	339410	199925
किराया, मूल्य और कर	1016698	1015990
वाहन चालन और रखरखाव	346809	376166
पोस्टेज, टेलीफोन और प्रभार	568562	580911
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	434432	197606
यात्रा तथा वाहन व्यय	379714	310730
संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	96310	56900
आई एच सी अभिदान व्यय	0	0
कानूनी शुल्क पर व्यय	376543	111977
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	210725	168125
आतिथ्य खर्च	108161	114795
व्यावसायिक शुल्क	349750	141532
विज्ञापन और प्रचार	0	0
अन्य	92388	52186
योग	**4961283**	**3902652**

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	**निदेशक (प्र.एवं वि.)**	**सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार लेखों और संबद्ध महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों तथा तुलन पत्र के संरचना भाग पर टिप्पणियां ।

1. **लेखाकरण अभिसमय:**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और लेखाकरण के प्रोद्भवन तरीके आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक अन्यथा नीचे वर्णित लेखाकरण नीतियों में न बताए गए हों ।

2. **लेखों का नया फार्मेट और नजदीकी रूपयों तक आंकड़ों को पूर्णांकित करना:**

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए बोर्ड के लेखे प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए हैं । वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी रूपयों तक पूर्णांकित किया गया है । आय और व्यय लेखों तथा तुलन पत्र में पिछले वर्ष के आंकड़े जहां आवश्यक हुआ है, पुनः समूहित किए गए है।

3. **आय मान्यता:**

सभी आय को प्रोद्भवन (Accural) आधार पर मान्यता दी गई है ।

4. **नियत परिसम्पत्ति:**

(क) नियत परिसम्पत्तियां मूल्यहास का प्रभार लगाने के पश्चात् हासित मूल्य पर बतायी जाती है ।

(ख) नियत परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार डब्ल्यू डी वी् तरीके से प्रभारित किया गया है । मूल्यहास चार्ट परिसम्पत्तियों की ब्लॉक के बजाए प्रत्येक परिसम्पत्ति अलग प्रदर्शित करते हुए तैयार किया गया है। मूल्यहास आय और व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किया गया है ।

5. **व्यय की मान्यता:**

एल टी सी के भुगतान को छोड़कर जिसे नकद आधार पर लिया जाता है, सभी व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है ।

6. **सेवा निवृति लाभ:**

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बीमांकिक आधार पर एन स आर पी बी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् छुटटी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए आवश्यक प्रावधान 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार वर्ष के लिए बोर्ड के आय और व्यय लेखों (गैर-योजना) तथा तुलन पत्र को बनाया गया है।

ख) बोर्ड समान्य भाविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनाभोगी कल्याण विभाग द्वारा मान्यता दी गई है। सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज की देयता संगत वर्ष में राजस्व से प्रभारित की गई है और बोर्ड के भाविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है।

ग) नई पेंशन योजना:

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्ती वालों के लिए एक नई पेंशन योजना (एन पी एस) शुरू की है। कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तद्अनुसार नई पेंशन योजना के लिए निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंकों में मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया जाता है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में अपने दिनांक 17.8.2009 का. ज्ञा. द्वारा अनुदेश जारी किए थे कि एन पी एस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों के अनिवार्य रूप में नेशनल स्क्यिुओरटी डिपॉजटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई में पंजीकृत करना है। इसके अनुपालन में, सितम्बर 2009 में एन एस डी एल, सी आर ए में आवश्यक पंजीकरण कराए गए है। एन एस डी एल, सी आर ए द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार, एन पी सी बी परिधि में आए बोर्ड के पांच कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एन पी एस निधियां एन एस डी एल, सी आर ए, मुम्बई को अंतिरत की गई हैं। बोर्ड 5 एन पी एस कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि को एन एस डी एल, सी आर ए मुम्बई को भेज रहा है। बोर्ड के पांच कर्मचारियों के संबंध में एन पी एस निधि का रखरखाव अब एन एस डी एल, सी आर ए मुम्बई द्वारा किया जा रहा है।

घ) समूह बीमा देयता

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान एल आई सी के साथ समूह बीमा योजना नामक एक नई पॉलिसी शुरू की है और इसके प्रोद्भूत होते ही ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से एल आई सी को 6,91,873/- रूपये अंतिरत किए है। बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौतियॉ कर रहा है और उसे एन आई सी को प्रतिमाह भेजता है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र के समय उनका दावा एल आई सी को ब्याज सहित बचत भुगतान तथा बीमा कवर, जहां भी लागू हो भेज दिया जाता है। जैसा कि ऊपर वर्षित है, चूंकि बोर्ड ने पहले ही एल आई सी से जी आई एस पॉलिसी ली है और 2005-06 में जी आई एस निधि के लिए 6,91,873/- रूपये अंतरित किए थे, उसमें से अव्ययित शेष 9,54,209/- रूपये जो 31.3.2009 तक जी आई एस निधि के अंतर्गत था अनुसूची-3 के अंतर्गत लेखाओं में चालू देयता के रूप में दर्शाया गया है, उसे अब एन सी आर पी बी निधि के साथ मिला दिया गया है क्योंकि इस खाते में कोई चालू देयता भुगतेय नही है।

7. एन सी आर पुस्तकें और प्रकाशन

बैंची गई और मानार्थ प्रति के रूप में नि:शुल्क वितरित की गई एन सी आर पुस्तकें और प्रकाशनों की लागत की आय और व्यय लेखा (योजना) से प्रमाणित किया जाता है तथा वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉफ को लागत पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

8. **योजना और गैन-योजनागत लेन-देन**

प्रत्येक योजना और गैर-योजना लेन देन के लिए अलग से प्राप्तियॉ और भुगतान लेखा तथा आय व व्यय का विवरण तैयार किया जाता है।

9. **अध्ययन और सर्वेक्षण**

अध्ययनों और सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्ययों को आय व व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किया जाता है। तथापि, चालू वर्ष 2009-10 के दौरान क्षेत्रीय त्वरित ट्रंजिट प्रणाली (आर आर टी एस) गलियारों के लिए डी पी आर की तैयारी हेतु अध्ययन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान के रूप में 5,36,83,010/- रूपये प्राप्त हुए थे जिसे शीर्ष निर्धारित निधि के अन्तगर्त अलग से दर्शाया गया है। तदनुसार, 2009-10 के दौरान इस प्रयोजन हेतु किए गए व्यय अलग से अनुदान के उपयेाग को दर्शाने के लिए इस निधि में प्रमाणित किया गया है।

10. **एन सी आर योजना और अनुवीक्षण प्रकोष्ठ**

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एन सी आर प्रकोष्ठ पर व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित एन सी आर प्रकोष्ट/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात् एन सी आर पी बी द्वारा संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है । चूंकि ये दावे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की वित्त वर्ष की समाप्ति तथा वित्त वर्ष के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना और अनुवीक्षण प्रकोष्ठ पर होने वाले व्यय को अनन्तिम/प्रोदभवन आधार पर एन सी आर प्रकोष्ण व्यय की प्रतिपूर्ति शीर्ष के तहत आप और व्यय लेखा (योजना) से बुक और प्रमाणित किया जाता है, (गत वर्षो में प्रत्येक प्रकोष्ट के लिए प्रतिपूर्ति किए गए विगत दावे के आधार पर) और प्रस्तुति तथा अनुमोदन होने पर वास्तविक व्यय के किसी अंतर को परिवर्ती वर्षो में समायोजित किया गया। प्रत्येक एन सी आर प्रकोष्ट के संबंध में पिछले तीन वर्षो के दौरान 31.3.2009 तक लम्बित होने (दावें प्राप्त नही) और इस शीर्ष पर आय तथा लेखा योजना के तहत किया गया कार्य नियमानुसार है:

एन सी आर योजना तथा अनुवीक्षण प्रकोष्ट	वित्तीय वर्ष जिसके लिए 31.3.2009 तक दावे प्राप्त नहीं हुए और प्रोदभवन आधार पर संबंधित वर्षो में आय और व्यय लेखा येाजना में व्यय बुक किए जाए	बुक किए गए व्यय की राशि (रूपये में)
उत्तर प्रदेश	2005-06 2006-07 2007-08 2008-09	2045000 3263024 3340500 4676700
हरियाणा	2008-09	5018500
राजस्थान	2007-08 2008-09	2558768 4350900
दिल्ली	2006-07 2007-08 2008-09	1414925 1434925 2008900
योग		**30112142**
	तुलन पत्र में देयता में दर्शाए गए भुगतेय व्ययों की राशि 31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए है।	29006364

उपर्युक्त लम्बित बिलों के विपरीत, 'भुगतेय व्ययों' (अनुसूची-3) शीर्ष के अन्तगर्त 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के दायित्व पक्ष में 2,90,06,364/- रूपये की एक भुगतेय राशि की गई थी। लेखा परीक्षा दल ने उल्लेख किया है कि 31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखों तथा तुलनपत्र में भुगतेय एन सी आर प्रकोष्ट व्ययों के लिए कोई प्रावधान परिलक्षित नहीं होता है, किन्तु प्रोदभवन आधार पर व्यय को बुक किया गया है। इसके दृष्टिगत, जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा टीम द्वारा सुझाव दिया गया है, 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार 2,90,06,364/- रूपयें के 'एन सी आर अनुवीक्षण प्रकोष्टों के लिए भुगतेय व्ययों' का उपर्युक्त अंतशेष 31.3.2009 तक 'एन सी आर प्रकोष्ठ कार्यों के लिए प्रावधान' शीर्ष में अंतरित कर दिया गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान अथशेष तथा निम्नलिखित समायोजन प्रविष्टियां चालू वर्ष 2009-10 के दौरान पारित कर दी गई है।

(राशि रूपयें में)

	31.3.2009 तक बुक किया कुल व्यय	30112142
घटाएं:	31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र में देयता पक्ष में दर्शाये गए भुगतेय कुल कार्यों की राशि	29006364
जोड़े:	पूर्ववर्ती वर्षो के लिए अल्प प्रावधान (प्रावधानों की अधिकता में किए गए वास्तविक भुगतान की वजह से) अब चालू वर्ष 2009-10 में समायोजित किया जाता है	1105778
घटाएं:	चालू वर्ष 2009-10 में 2007-08 के लिए राजस्थान प्रकोष्ठ को भुगतेय एन सी आर प्रकोष्ठ व्ययों के लिए निपटाया गया दावा	2558768
	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार एन सी आर प्रकोष्ट व्ययों के लिए प्रावधान शेष (31.3.2009) तक	27553374

इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए एन सी आर प्रकोष्ठ को भुगतेय व्ययों के लिए 1,66,50,556/- रूपयें का अलग से प्रावधान किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में आय व व्यय लेखा (योजना) के लिए प्रभारित किया गया है क्योंकि 31.3.10 तक वर्ष 2009-10 के लिए किसी एन सी आर प्रकोष्ठ से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

11. **आयकर:-** उपयुक्त आयकर प्रधिकरण अर्थात वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट) नई दिल्ली ने उनके आदेश संख्या डी जी आई टी (ई) 10 (23 सी) iv/2008 दिनांक 2.5.2008 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23सी) के उप खण्ड (IV) के आधीन रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड को निर्धारण वर्ष 2003-04 से, अनुमोदित कर दिया है। अब बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 धारा 10 (23सी) iv के अर्न्तगत आयकर देने से छूटं प्राप्त है। इस स्थिति को देखते हुए वर्ष 2007-08 2008-09 तथा 2009-10 में बोर्ड के वार्षिक लेखाओं मे कोई आयकर प्रावधान नहीं किया गया हैं।

उपरोक्त प्रदान की गई आयकर छूट के कारण बोर्ड ने आयकर कार्यालय को बैंकों तथा राज्य सरकारों / उनकी क्रियान्वयन एनेन्सी द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 में टैक्स न काटने हेतु एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था। तथापि आयकर विभाग द्वारा स्त्रोत पर टैक्स न काटने के बजाय 6.80% की न्यूनतम दर से टी डी एस काटने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया था जो कि 31.3.2010 तक वैध था। यह मामला आयकर विभाग के साथ उठाया गया था लेकिन काई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ वर्ष 2009-10 के लिए बोर्ड की आय पर टी डी एस कटौती 8,09,20,576/- रूपये की थी और वर्ष 2009-10 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखाओं के साथ जुड़ी अनुसूची-6 में अन्तिम और वसूलनीय राशि शीर्ष के अन्तर्गत टी डी एस वसूलनीय के रूप में दर्शायी गई है। इसका आकलन वर्ष 2010-11 के आई टी आर फाईल करते समय आयकर विभाग से दावा किया जा सकता है। बोर्ड ने महानिदेशक

(छूट) का कार्यालय, नई दिल्ली को आकलन वर्ष 2003-04 से भुगतान किए गए समस्त काटे गए आयकर को वापिस (Refund) हेतु आवेदन दे दिया है जिस पर उनके साथ कार्रवाई चल रही है। अब तक आयकर विभाग द्वारा बोर्ड को काई वापसी नहीं की गई है।

12. **स्थापना व्यय (योजना) वेतन**

अनुसूची 9 में स्थापना व्यय(योजना) 2100984/- रूपये दर्शाए गए हैं जो बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से बोर्ड के पांच कर्मचारियों को भुगते वेतन के लिए है।

पांच पद 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित / स्वीकृत किए गए थे तथा इनका व्यय बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन (internal Accural) से किया जाना था। तदानुसार बोर्ड वर्ष 1999- 2000 से इन पांच पदों के वेतन को आय एवं व्यय लेखा (योजना) में दिखा रहा है जैसा कि प्रति वर्ष बोर्ड के वार्षिक लेखों में प्रकट किया जाता है।

13. **रिडम्शन रिजर्व (बी आर आर) बांड का सृजन**

बोर्ड ने फरवरी 2008 में 7 वर्ष की अवधि के लिए 200 करोड़ रूपये के करयोग्य बांडस प्राइवेट पेलेसमेंट आधार पर पूंजी बाजार (capital market) से जुटाए (raised) थे। सांविधानिक आवश्यकतानुसार उगहाने से पूर्व बाड़ों को वित्तीय रूप से क्रिसिल तथा फिच (CRISIL & FITCH) रेटिंग एजेन्सी से मूल्यांकन करवाया गया था। रेटिंग एनेन्सी ने कहा था कि बोर्ड द्वारा बांड रिडम्पशन रिजर्व इस प्रकार बनाया जाए कि परिपक्वता पर बांड रिडम्पशन राशि में बराबर का रिर्जव रहे। बोर्ड अपनी बांड की देनदारी को परिपक्वता पूरी होने पर निभा सके। वर्ष 2008-09 में बोर्ड ने 28.50 करोड़ रूपये से बाँड रिडम्पशन रिजर्व सृजित किया है तथा लेखों में आवश्यक प्रावधान कर दिया और एफ डी आर में 28.50 करोड़ रूपये का निवेश किया। वर्ष 2009-10 के दौरान बोर्ड ने वर्ष 2009-10 के बोर्ड के वार्षिक लेखाओं बी.आर.आर में 28.50 करोड़ रूपये का और प्रावधान किया है। बी आर आर में अब लेखे का कुल प्रावधान वर्ष 2009-10 के बोर्ड के वार्षिक लेखाओं के साथ जुड़ी अनुसूची-2 के अनुसार 57.00 करोड़ रू. है।

14. 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार/क्रियान्वयन एजेंसियों को ऋणों/अग्रिमों का बकाया शेष जैसा कि वर्तमान परिसम्पत्तियों ऋणों अग्रिमों की अनुसूची-8 में दर्शाया गया है एन सी आर योजना बोर्ड की संबंधित ऋणदाता एजेंसियों से शेष की पुष्टि के आधीन है।

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव